

प्रेषक

जीवन चन्द्र जोशी,  
वित्त नियंत्रक,  
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

वेबसाइट www.forest.uk.gov.in  
फोन/फैक्स:-0135-2741607  
ई-मेल:-ccpfmua@gmail.com

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी/  
प्रमुख वन संरक्षक(वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,  
उत्तराखण्ड, देहरादून

देहरादून: दिनांक: 21 फरवरी, 2022

**विषय :-** वित्तीय वर्ष 2021-22 में वन विभाग के अनुदान संख्या-31 की केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत लेखाशीर्षक "2406-02-110-95-01 प्रोजेक्ट टाईगर के अन्तर्गत कार्बेट टाईगर रिजर्व हेतु राज्यांश के रूप में शासन से अवमुक्त बजट का आवंटन।

**संदर्भ :-** शासनादेश संख्या 154/X-2-2022-12(90)2016 दिनांक 27 जनवरी, 2022 तथा शुद्धि पत्र संख्या-1/18060/2022 दिनांक 08 फरवरी, 2022 (छायाप्रतियाँ संलग्न)।

महोदय,

उक्त सन्दर्भित शासनादेश व अलॉटमेंट आई.डी.S22020310033 दिनांक 24.01.2022 से वन विभाग के अनुदान सं0-31 की केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत लेखाशीर्षक "2406-02-110-95-01 प्रोजेक्ट टाईगर के अन्तर्गत कार्बेट टाईगर रिजर्व हेतु भारत सरकार से स्वीकृत ए0पी0ओ0 के अनुसार राज्यांश के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि ₹5,01,000/- (पाँच लाख एक हजार मात्र) का विभागाध्यक्ष द्वारा दिये गये अनुमोदन के उपरान्त IFMS पोर्टल के माध्यम से ऑन लाइन विभाग के आहरण वितरण अधिकारी-प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड देहरादून को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ बजट का आवंटन करते हुये प्रिन्ट आउट की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न कर प्रेषित की जाती है।

1-सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2-केन्द्रांश एवं राज्यांश के व्यय के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सर्वप्रथम केन्द्रांश की धनराशि व्यय की जायेगी तदोपरान्त राज्यांश की धनराशि व्यय की जायेगी।

3-सक्षम स्तर से वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

4-अवमुक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा योजना हेतु निर्धारित नियमों के तह व्यय की जायेगी।

5-अवमुक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार के पत्र संख्या F.No-4-1(1)/2021-P.T. दिनांक 22.06.2021 व दिनांक 29.12.2021 के द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार वर्णित कार्यमदों में ही पत्र में उल्लिखित दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6-धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-245/XXVII(7)/2012 दिनांक 22.11.2012 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय।

7- अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-7 (वन लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमैट) नियमावली 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार के पत्र संख्या F.No.1(13)PFMS/FCD/2020 दिनांक 23.03.2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुपालन करते हुए प्रश्नगत योजना हेतु नामित SNA के बैंक खाते में हस्तान्तरित करते हुए PFMS के माध्यम की जानी सुनिश्चित की जाय।

9-योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहाँ आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय।


10-स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार, महालेखाकार एवं शासन को अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

11-आवंटित/जारी धनराशि के मासिक व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी.एम.-4 में कार्यालयवार भरकर विलम्बतम प्रत्येक माह की पहली तारीख तक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जायेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार



भवदीय,



(जीवन चन्द्र जोशी)

वित्त नियंत्रक

संख्या: नि0 1995 (1)/3-6 ( प्रोजेक्ट कार्बेट टाईगर रिजर्व) तददिनांकित।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड,देहरादून।
- 2- महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
- 3- अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 4- अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 5- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी,देहरादून,उत्तराखण्ड को IFMS पोर्टल के माध्यम से विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को ऑन लाईन आवंटित बजट की प्रति संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी से प्राप्त बिलों का नियमानुसार भुगतान करने का कष्ट करें।
- 7- प्रमुख वन संरक्षक,(HOFF) उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8- निदेशक,कार्बेट टाईगर रिजर्व, रामनगर।
- 9- उप वन संरक्षक, आइ0टी0जी0सी0, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई,उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त जारी धनराशि को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार



(जीवन चन्द्र जोशी)

वित्त नियंत्रक



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2021 - 2022 )  
HOD-Principal Chief Conservator of  
Forest(4260)

Treasury-Dehradun(0100)

DDO-Addl PCF Wildlife PCFWLChief WL Warden DDun(4326)

आवंटन पत्र संख्या -Ni-1995/3-6

आवंटन आई डी-H22020310028

अनुदान संख्या-031

आवंटन पत्र दिनांक-21-FEB-2022

लेखा शीर्षक

2406-वानिकी तथा वन्य जीवन

02-Environmental Forestry  
and wild Life

110-वन्य जीवन परिरक्षण

95-केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश

01-प्रोजेक्ट टाईगर

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
02-मजदूरी	0	1000	0	1000
51-अनुरक्षण	0	500000	0	500000
योग	0	501000	0	501000

**Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.5,01,000 (Rupees Five Lacs One Thousand Only)**

Batch ID : DIS:4260:4260:2202:0071

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

*[Signature]*

*[Signature]*

वित्त नियंत्रक  
वन विभाग  
कार्यालय

प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड  
देहरादून